पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मीरा दारुका एवं अन्य

बनाम

प्रद्युमन भारती एवं अन्य

2022 का प्रथम अपील संख्या 2

में

2022 का लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 660

26 जून 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी भजंत्री एवं माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्र. सिंह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100-ए के तहत बनाए गए प्रतिबंध के मद्देनजर प्रथम अपील में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा पारित मध्यवर्ती आदेशों के विरुद्ध लेटर्स पेटेंट अपील स्वीकार्य है।

हेडनोट्स

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 - धारा 100-ए - अंतर-न्यायालय अपील पर रोक - अंतरिम आदेश - एलपीए की स्थिरता धारा 100-ए सीपीसी, जैसा कि 2002 के अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है, मूल या अपीलीय डिक्री/आदेश से किसी भी अपील में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित निर्णयों या आदेशों के खिलाफ किसी भी आगे की अपील (लेटर पेटेंट के तहत सहित) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है - प्रतिबंध अंतिम और अंतरिम आदेशों पर समान रूप से लागू होता है।

निर्णय: प्रथम अपील में एकल न्यायाधीश के अंतरिम आदेश के खिलाफ भी एलपीए स्थिरता योग्य नहीं है

क़ानूनों की व्याख्या – गैर-बाधा खंड – अधिभावी प्रभाव – धारा 100-ए सीपीसी धारा 100-ए एक गैर-बाधा खंड से शुरू होती है जो उच्च न्यायालयों के लेटर्स पेटेंट सहित अन्य सभी कानूनों को अधिभावी बनाती है – जब एकल न्यायाधीश किसी अपील की सुनवाई करता है

और उस पर निर्णय लेता है तो प्रतिबंध पूर्ण होता है – विधायी इरादा अपीलों की बहुलता को प्रतिबंधित करना है।

निर्णय: धारा 100-ए का विधायी उद्देश्य अंतर-न्यायालय अपीलों को सीमित करना है; उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की पुष्टि की गई। [पैरा 11]

न्यायिक मिसालें – सुसंगत दृष्टिकोण – धारा 100-ए सीपीसी पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले

कोर्ट ने बाध्यकारी मिसालों पर भरोसा किया, जिसमें माना गया कि मूल या अपीलीय डिक्री से अपील में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों (अंतिम या मध्यवर्ती) के खिलाफ कोई लेटर्स पेटेंट अपील नहीं है – समन्वय पीठों और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन किया गया।

माना गया: मिसालें बाध्यकारी हैं; एलपीए को बनाए रखने योग्य नहीं माना गया। [पैरा 8-12]; अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण खारिज कर दिया गया। [पैरा 8-13]

क़ानूनों की व्याख्या – गैर-बाधा खंड – अधिभावी प्रभाव – धारा 100-ए सीपीसी

धारा 100-ए एक गैर-बाधा खंड से शुरू होती है जो उच्च न्यायालयों के लेटर्स पेटेंट सहित अन्य सभी कानूनों को अधिभावी बनाती है – जब एकल न्यायाधीश किसी अपील की सुनवाई करता है और उस पर निर्णय लेता है तो प्रतिबंध पूर्ण होता है – विधायी इरादा अपीलों की बहुलता को प्रतिबंधित करना है।

निर्णय: धारा 100-ए का विधायी उद्देश्य अंतर-न्यायालय अपीलों को सीमित करना है; उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की पुष्टि की गई। [पैरा 11]

न्यायिक मिसालें – सुसंगत दृष्टिकोण – धारा 100-ए सीपीसी पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले

कोर्ट ने बाध्यकारी मिसालों पर भरोसा किया, जिसमें माना गया कि मूल या अपीलीय डिक्री से अपील में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेशों (अंतिम या मध्यवर्ती) के खिलाफ कोई लेटर्स पेटेंट अपील नहीं है – समन्वय पीठों और माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का पालन किया गया।

माना गया: मिसालें बाध्यकारी हैं; एलपीए को बनाए रखने योग्य नहीं माना गया। [पैरा 8-12]

न्याय दृष्टान्त

जीतेन्द्र नारायण अग्रवाल बनाम राजीव कुमार अग्रवाल , 2006 (2) पीएलजेआर 530 - पर निर्भर; **बलभद्र सिंह बनाम राम बिनोद सिंह** , 2004 (4) पीएलजेआर 879 – लागू; **मो. सऊद बनाम डॉ. (मेजर) शेख महफूज़** , (2010) 13 एससीसी 517 - अनुसरण किया गया; **मोहम्मद अली बनाम मोहम्मद कुमरू जाम्मा** , 2015 (4) पीएलजेआर 323 – लागू; **सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ , (2005) 6** एससीसी **344** – संदर्भित

अधिनियमों की सूची

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 – धारा 100-ए; **लेटर्स पेटेंट (कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास और पटना उच्च न्यायालय)** – खंड 10 (सीपीसी द्वारा बहिष्कृत)

मुख्य शब्दों की सूची

लेटर्स पेटेंट अपील; धारा 100-ए सीपीसी; अंतरिम आदेश; स्थिरता, प्रथम अपील; अंतर-न्यायालय अपील प्रतिबंध; अंतिम निर्णय; गैर-बाधा खंड; बहु अपील; सिविल प्रक्रिया संशोधन अधिनियम, 2002

प्रकरण से उत्पन्न

प्रथम अपील संख्या 2/2022 में दायर आईए संख्या 1 और 3/2022 , जिसमें अपीलकर्ताओं ने अंतरिम निर्देशों को चुनौती दी थी। 14.10.2022 के आदेशों के विरुद्ध एलपीए दायर किया गया था।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

अपीलकर्ताओं की ओर से: श्री नंदलाल कुमार सिंह, अधिवक्ता

प्रतिवादियों के लिए: श्री जेके वर्मा, अधिवक्ता; श्री अंजनी कुमार; श्री रवि राज; श्री श्रेयश गोपाल; सुश्री कुमारी श्रेया; श्री. अभिषेक आनंद; श्री अच्युत कुमार; सुश्री श्वेता राज; अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया:- सुश्री आकांक्षा मालवीय**,** अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2022 का प्रथम अपील संख्या 2

में

2022 का लेटर्स पेटेंट अपील संख्या 660

==========

1. मीरा दारुका, स्वर्गीय प्रेम कुमार दारुका की पत्नी, मोहल्ला-महाराजगंज रोड, डाकघर-औरंगाबाद, थाना-औरंगाबाद और जिला-औरंगाबाद की निवासी।
2. राघवेन्द्र कुमार दारूका, स्वर्गीय प्रेम कुमार दारूका के पुत्र, मोहल्ला-महाराजगंज रोड, डाकघर-औरंगाबाद, थाना-औरंगाबाद और जिला-औरंगाबाद के निवासी।
3. मनीष कुमार दारूका, स्वर्गीय प्रेम कुमार दारूका के पुत्र, मोहल्ला-महाराजगंज रोड के निवासी, डाकघर-औरंगाबाद, थाना.-औरंगाबाद और जिला-औरंगाबाद।

.... याचिकाकर्ता

बनाम

1.1. प्रद्युमन भारती, स्वर्गीय दिलीप कुमार डालमिया और भारती डालमिया@भारती देवी के पुत्र, निवासी- 114, शिवम अपार्टमेंट, मोहल्ला-सैदापुर कैनाल रोड, राय हसनपुर चाय टोला, मुसल्लाहपुर, डाकघर.-बांकीपुर, जिला-पटना, पिन-800004।

1.2. क्षमा भारती, सुमित कुमार सिंघल की पत्नी, और स्वर्गीय दिलीप कुमार डालमिया और भारती डालमिया @भारती देवी की पुत्री, निवासी घर संख्या-218, डी. एन. दास लेन, मोहल्ला-लंगरटोली गली, डाकघर-बांकीपुर, जिला-पटना, पिन-800004।

2. रमेश रतेरिया, पिता- स्वर्गीय श्यामसुंदर रतेरिया, निवासी- क्लब रोड, डाकघर, थाना और जिला-औरंगाबाद।

3. दिलीप रतेरिया पिता- स्वर्गीय श्यामसुंदर रतेरिया, निवासी क्लब रोड, डाकघर, थाना और जिला-औरंगाबाद।

4. लाली देवी, पति- श्री पशुपतिनाथ केडिया और पिता- श्री महाबधीर प्रसाद दारुका, निवासी- मारवाड़ी आरोग्य भवन, बरियायतु रोड, रांची (झारखंड)।

5. कलावती देवी, पति-डॉ. बी. बी. अग्रवाल और पिता- श्री महाबीर प्रसाद दारुका, मोहल्ला-न्यू एरिया, एन. सी. सी. कार्यालय, डाकघर, थाना और जिला-औरंगाबाद के निवासी।

6. चंद्रवती ख्वाला, पति- स्वर्गीय रामचंद्र ख्वाला और पिता- श्री महाबीर प्रसाद दारुका, पता- फोबूटिक, 61/ए पार्कस्ट्रीट, एंबेसडर बिल्डिंग, कोलकाता (पश्चिम बंगाल) की निवासी।
7. पुष्पा रानी, पति- श्री बजरंग लाल गुटगुटिया और पिता- श्री महाबीर प्रसाद दारुका, पता- श्री गोबरधन डेयरी फार्म, नया एल. आई. सी. कार्यालय, झाझा, मुंगेर के निवासी।
8. नीलम देवी, पति- महाबीर प्रसाद अग्रवाल और पिता- स्वर्गीय महाबीर प्रसाद दारुका, पता- महावीर एंटरप्राइजेज, न्यू डाक बंगला रोड, पटना के निवासी ।
9. सुनील चौधरी, स्वर्गीय गायत्री देवी और स्वर्गीय महाबीर प्रसाद के पुत्र, निवासी- पी. पी. परिसर, रांची (झारखंड)।
10. अनिल चौधरी, स्वर्गीय गायत्री देवी और स्वर्गीय महाबीर प्रसाद दारुका के पुत्र, पता- पी. पी. परिसर, रांची के निवासी।
11. रश्मि तेबरवाल, पिता- स्वर्गीय प्रेम कुमार दारुका, पता- गाँव-कोइमा, थाना- औरंगाबाद मुफस्सिल, जिला-औरंगाबाद की निवासी, वर्तमान निवास- महाराजगंज रोड, न्यू एरिया, जे. के. होटल के पास, जिला-औरंगाबाद।
12. रितिमा अग्रवाल पिता- स्वर्गीय प्रेम दारुका, निवासी- ग्राम- कोइमा, थाना- औरंगाबाद मुफस्सिल, जिला-औरंगाबाद, वर्तमान निवास- महाराजगंज रोड, न्यू एरिया, जे. के. होटल के पास, थाना- औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद ।
13. राकेश कुमार पवन, पिता- अजय कुमार सिंह, निवासी- गाँव-कोइमा, थाना -औरंगाबाद मुफस्सिल, जिला-औरंगाबाद, वर्तमान निवास -महाराजगंज रोड, न्यू एरिया, जे. के. होटल के पास, थाना-औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद ।
14. राजेश कुमार पंकज, पिता- अजय कुमार सिंह, निवास- गाँव-कोइमा, थाना-औरंगाबाद मुफस्सिल, जिला-औरंगाबाद, वर्तमान निवास- महाराजगंज रोड, न्यू एरिया, जे. के. होटल के पास, थाना- औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद।
15. श्रीमती. मंजू कुमारी, पति- राकेश कुमार पासवान, निवासी- गाँव-कोइमा, थाना-औरंगाबाद मुफस्सिल, जिला-औरंगाबाद, वर्तमान निवास- महाराजगंज रोड, न्यू एरिया, जे. के. होटल के पास, पी. एस. औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद।

16. श्रीमती अनीता देवी, पिता- श्री राजेश कुमार पंकज, निवासी- गाँव-कोइमा, थाना--औरंगाबाद मुफस्सिल, जिला-औरंगाबाद, वर्तमान निवास- महाराजगंज रोड, न्यू एरिया, जे. के. होटल के पास, थाना- औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद।

17. मोहन कुमार गुप्ता, पिता- स्वर्गीय विजय कुमार गुप्ता, निवासी- मोहल्ला-साहूगंज, थाना और जिला-औरंगाबाद।

18. सोहन कुमार गुप्ता, पिता- स्वर्गीय विजय कुमार गुप्ता, निवासी- मोहल्ला-साहूगंज, थाना और जिला-औरंगाबाद ।

19. शिव पूजन ठाकुर, पिता- श्री बिरघु ठाकुर, निवासी- कर्म भगवन, थाना-औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद।

.... उत्तरदातागण

==========

उपस्थिति :

अपीलार्थियों के लिए : श्री नंदलाल कुमार सिंह, अधिवक्ता

प्रत्यर्थियों के लिए : श्री जे. के. वर्मा, अधिवक्ता
श्री अंजनी कुमार, अधिवक्ता
श्री रवि राज, अधिवक्ता
श्री श्रेयश गोपाल, अधिवक्ता
सुश्री कुमारी श्रेया, अधिवक्ता
श्री अभिषेक आनंद, अधिवक्ता
श्री अच्युत कुमार, अधिवक्ता
सुश्री श्वेता राज, अधिवक्ता

==========

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी.बी भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्र. सिंह

मौखिक निर्णय

(द्वारा: माननीय न्यायमूर्ति श्री जस्टिस पी. बी. बजंत्री)

दिनांक: 26-06-2025

संदर्भः आई. ए. संख्या 02 / 2022

एल. पी.ए. संख्या 660/2022 दाखिल करने में लगभग 9 दिन की देरी को माफ करने के लिए आई. ए. सं. 02 / 2022 की सुनवाई की गयी।

2. शपथपत्र के साथ आवेदन में बताए गए कारणों के लिए, एल. पी. ए. संख्या 660/2022 दाखिल करने में लगभग 09 दिनों की देरी को माफ कर दिया जाता है।

3. तदनुसार, आई. ए. सं. 02 /2022 स्वीकृत की जाती है ।

संदर्भः आई. ए. सं. 03 / 2025

4. अनुलग्नक-1 को हटाने के लिए दायर आई. ए. सं. 03/2025 सुना गया।

5. शपथपत्र के साथ आवेदन में बताए गए कारणों के लिए, आई. ए. संख्या 03 / 2025 स्वीकृत की जाती है ।

एल. पी. ए. सं. 660/ 2022

6. संबंधित पक्षों के विद्वान वकीलों की सहमति से, एल. पी. ए. संख्या 660/2022 को अंतिम निष्पादन के लिए लिया गया ।

7. अपीलकर्ताओं ने प्रथम अपील संख्या 2/2022 में आई. ए. संख्या 1/2022 और आई. ए. संख्या 3/2022 में पारित दिनांक 14.10.2022 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दिया है। दूसरे शब्दों में, प्रथम अपील संख्या 2/2022 अभी भी विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष विचाराधीन है। अपीलकर्ताओं ने अंतर्वर्ती स्तर पर पारित आदेशों को चुनौती दी है।

8. प्रत्यर्थियों के विद्वान वकील श्री जे. के. वर्मा ने प्रारंभिक आपत्ति जताई कि वर्तमान एल. पी. ए. संख्या 660/2022 सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100-ए के आलोक में विचारणीय नहीं है। अपने तर्क के समर्थन में, उन्होंने निम्नलिखित चार निर्णयों पर भरोसा किया हैः

(i) जितेंद्र नारायण अग्रवाल बनाम श्री राजीव कुमार अग्रवाल और अन्य, {(2006 (2) पी. एल. जे. आर. 530) पैरा सं. 4}।

(ii) बलभद्र सिंह @बलभद्र एन.आर. सिंह बनाम राम बिनोद सिंह और अन्य, {(2004 (4) पी. एल. जे. आर. 879) अनुच्छेद संख्या 4 और 5}।

(iii) मोहम्मद सऊद और एक अन्य बनाम डॉ. (मेज) शेख महफूज और अन्य।, {(2010 (13) सुप्रीम कोर्ट मामले 517), अनुच्छेद संख्या 9,10 और 15}।

(iv) मोहम्मद अली बनाम मोहम्मद कमरू जामा और अन्य, {(2015 (4) पीएलजेआर 323) अनुच्छेद संख्या 10 और 11}।

9. इसके विपरीत, अपीलार्थियों के विद्वान वकील सी. पी. सी. की धारा 100-ए की व्याख्या के संदर्भ में किसी भी न्यायिक निर्णय से इस न्यायालय को अवगत नहीं करा सके, जिसे 1 जुलाई, 2002 को शामिल किया गया था। दूसरी ओर, यह तर्क प्रस्तुत किया जाता है कि सी. पी. सी. की धारा 100-ए. पर "निर्णय या आदेश" शब्द के संदर्भ में ध्यान दिया जाना आवश्यक है। प्रतिबंध केवल अंतिम निर्णय और आदेश के संबंध में है और विद्वान एकल न्यायाधीश के अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ नहीं है। हालाँकि, उन्होंने इस संदर्भ में किसी भी न्यायिक निर्णय का उल्लेख नहीं किया ।

10. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

11. वर्तमान वाद में उठाया गया प्रारंभिक मुद्दा यह है कि क्या प्रथम अपील संख्या 2/2022 में पारित दिनांक 14.10.2022 के विद्वान एकल न्यायाधीश के अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ, एल. पी. ए. विचारणीय है या नहीं? जिसे आई. ए. संख्या 1/2022 और आई. ए. संख्या 3/2022 में पारित किया गया है जो प्रथम अपील संख्या 2/2022 से उत्पन्न होता है।

यहाँ सी. पी. सी. की धारा 100-ए को पुनः प्रस्तुत करना आवश्यक है। सी. पी. सी. की धारा 100-ए को नीचे उद्धृत गया हैः

> *"[**100-ए कुछ मामलों में आगे अपील का न होना—** किसी भी उच्च न्यायालय के लिए किसी भी लेटर्स पेटेंट में या कानून के बल वाले किसी भी दस्तावेज में या उस समय लागू किसी अन्य कानून में कुछ भी निहित होने के बावजूद, जहां किसी मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश से किसी भी अपील की सुनवाई की जाती है और उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय लिया जाता है, ऐसे एकल न्यायाधीश के फैसले और डिक्री से आगे कोई अपील नहीं होगी।]"*

उपरोक्त वैधानिक प्रावधान को पढ़कर, यह स्पष्ट है कि विद्वत एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एल. पी. ए. दायर करने के लिए डिक्री या आदेश के खिलाफ एल. पी. ए. दायर करने में एक निषेध है। इसकी व्याख्या इस न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उद्धृत निर्णयों (उपरोक्त) के माध्यम से की गई है। यहाँ प्रत्येक निर्णय के उपरोक्त पैराग्राफ को पुनः उद्धृत प्रस्तुत करना आवश्यक है। जिन्हें निम्नानुसार उद्धृत किया गया हैः

(i) ***जितेंद्र नारायण अग्रवाल बनाम श्री राजीव कुमार अग्रवाल और अन्य, {(2006 (2) पी.एल.जे.आर. 530)}*** *के मामले में निर्णय का अनुच्छेद-4 नीचे उद्धृत किया गया हैः*

> *"4. हालाँकि, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने निष्पक्ष रूप से कहा है कि विद्वान एकल न्यायाधीश के अंतिम निर्णय के खिलाफ गुण-दोष पर अपील विचारणीय नहीं होगी, लेकिन, उन्होंने दृढ़ता से तर्क दिया है कि एक लंबित अपील में एक अंतर्वर्ती आवेदन पर पारित आदेश को लेटर्स पेटेंट अपील में लेटर्स पेटेंट अपील के खंड 10 का आह्वान*

करके स्वीकार किया जा सकता है। यह निवेदन धारा 100ए के संशोधित प्रावधानों के खिलाफ गैर-अवरोधक खंड के रूप में विरोध करता है, जो निस्संदेह यह निर्धारित करता है कि किसी भी उच्च न्यायालय के किसी भी लेटर्स पेटेंट में कुछ भी निहित होने के बावजूद कोई अपील विचारणीय नहीं होगी। यदि लेटर्स पेटेंट अपील गुण-दोष पर निर्णय के खिलाफ लेटर्स पेटेंट के खंड 10 के तहत नहीं है, तो अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ अपील कैसे हो सकती है। हमारे सामने प्रस्तुत यह प्रस्ताव कानून द्वारा समर्थित नहीं है। इसलिए, हम इस तर्क से सहमत नहीं हो सकते और तदनुसार, सी. पी. सी. की धारा 100ए के प्रावधान के आलोक में प्रस्तुत यह लेटर पेटेंट अपील विचारणीय नहीं है।.

(ii) **बलभद्र सिंह @बलभद्र ना. सिंह बनाम राम बिनोद सिंह और अन्य, {(2004 (4) पी. एल. जे. आर. 879)}** मामले में निर्णय के पैराग्राफ-4 और 5 को नीचे उद्धृत गया हैः

"4. मामला एक प्रोबेट मामले से उत्पन्न होता है, जहां अपीलार्थी एक आक्षेपकर्ता था। प्रोबेट मामले में, 9-12-1975 पर, निचली अदालत ने एकमात्र आवेदक राम बख्शीश सिंह का नाम हटा दिया, जिनकी 15-7-1975 पर मृत्यु हो गई और उनके उत्तराधिकारियों को प्रतिस्थापित किया, जिन्होंने पंजीकृत वसीयत के तहत उत्तराधिकारी होने का दावा किया था। आक्षेपकर्ता ने उक्त आदेश को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया, जो विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अपील में प्रश्नगत आदेश द्वारा किया गया था।

5. अपील भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 299 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत दायर की गई थी, जो इस प्रकार हैः—

"299. जिला न्यायाधीश के आदेशों से अपील-

जिला न्यायाधीश द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर किया गया प्रत्येक आदेश, उच्च न्यायालय में अपील के अधीन होगा, अपीलों पर लागू सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के प्रावधानों के अनुसार।.

(iii) **मोहम्मद सऊद और एक अन्य बनाम डॉ. (मेजर) शेख महफूज़ और अन्य { (2010 (13) सुप्रीम कोर्ट के मामले 517)}** के मामले के निर्णय के पैराग्राफ- 9,10 और 15 को नीचे उद्धृत किया गया है ।

"9. सलेम अधिवक्ता बार एसोसिएशन बनाम भारत संघ मामले में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा धारा 100-ए सी. पी. सी. की वैधता को बरकरार रखा गया है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठों ने गंडला पन्नाला भुलक्ष्मी बनाम ए. पी. एस. आर. टी. सी., मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के लक्ष्मीनारायण बनाम शिवलाल गुजर और केरल उच्च न्यायालय के केशव पिल्लई श्रीधरन पिल्लई बनाम केरल राज्य मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि 2002 में धारा 100-ए के संशोधन के बाद किसी भी वादी को उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले या आदेश के खिलाफ आगे अपील करने का ठोस अधिकार नहीं हो सकता है। हम उपरोक्त निर्णयों से सम्मानपूर्वक सहमत हैं।

10. कमला देवी बनाम कुशल कंवर के मामले में इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले दायर केवल एक एल. पी. ए. विचारणीय हो सकते है। वर्तमान मामले में एल. पी. ए. 2002 के बाद दायर किए गए थे और इसलिए हमारी राय में वे विचारणीय नहीं हैं।

15. इस विविद संघर्ष को हल करने के लिए हमें एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या अपनानी होगी। धारा 100-ए को लागू करने का पूरा उद्देश्य अपीलों की संख्या को कम करना था क्योंकि भारत में जनता को क़ानून में प्रदान की गई कई अपीलों द्वारा परेशान किया जा रहा था। यदि हम मामले को उस कोण से देखते हैं तो यह तुरंत स्पष्ट हो जाएगा कि विचाराधीन एल. पी. ए. बनाए रखने योग्य नहीं था क्योंकि यदि इसे बनाए रखने योग्य माना जाता है तो परिणाम यह होगा कि जिला न्यायाधीश के एक अंतर्वर्ती आदेश के खिलाफ दो अपीलें हो सकती हैं, पहले विद्वान एकल न्यायाधीश और फिर उच्च न्यायालय की खंड पीठ के पास, लेकिन जिला न्यायाधीश के अंतिम निर्णय के खिलाफ केवल एक ही अपील हो सकती है। हमारी राय में यह अजीब होगा, और धारा 100-ए के उद्देश्य, यानी अपीलों की संख्या को कम करने के उद्देश्य के खिलाफ होगा।.

(iv) **मोहम्मद अली बनाम मोहम्मद कमरू जम्मा और अन्य, {(2015(4) पी. एल. जे. आर. 323)}** के मामले में निर्णय के अनुच्छेद-10 और 11 को नीचे उद्धृत किया गया हैः

"10. सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा किए गए उसके संशोधन से पहले धारा 100-ए में सन्निहित प्रावधानों को सिर्फ पढ़ने मात्र से यह स्पष्ट हो जाता है कि अपरिवर्तित धारा 100-ए के अनुसार, किसी अपीलीय डिक्री या आदेश से उत्पन्न किसी भी अपील में उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए आदेश से आगे कोई अपील कायम नहीं रखी जा सकती थी; जबकि संशोधित धारा 100-ए के तहत (जैसा कि 01.07.2002 से प्रभावी है), किसी मूल या अपीलीय डिक्री या आदेश से कोई अपील नहीं, यदि किसी उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा सुनवाई की गयी है और निर्णय दिया गया है। भले ही किसी भी उच्च न्यायालय के किसी भी लेटर पेटेंट में इसके विपरीत कोई प्रावधान हो।

"11. ऊपर जो बताया गया है, उसके आलोक में, यह स्पष्ट है कि जैसा कि दिनांक 30.04.2014 का आदेश, इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा एक मूल आदेश के खिलाफ अपील में पारित किया गया था, आगे कोई अपील विचारणीय नहीं है क्योंकि धारा 100-ए, सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा संशोधन के बाद, यह स्पष्ट करती है कि मूल या अपीलीय आदेश से आगे कोई अपील संशोधित धारा 100-ए के तहत विचारणीय नहीं है, भले ही उच्च न्यायालय के लेटर्स पेटेंट ऐसी अपील को बनाए रखने योग्य बनाता है।.

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय और समन्वय पीठ द्वारा निर्धारित कानून के आलोक में, यह स्पष्ट है कि अंतर्वर्ती आदेश या निर्णय या डिक्री के खिलाफ, प्रथम अपील में विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से उत्पन्न लेटर्स पेटेंट अपील विचारणीय नहीं है।

13. इन तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ताओं ने प्रथम अपील संख्या 2/2022 से उत्पन्न होने वाले आई. ए. संख्या 1/2022 और आई. ए. संख्या 3/2022 में पारित दिनांक 14.10.2022 के विद्वान एकल न्यायाधीश के अंतर्वर्ती आदेश में हस्तक्षेप करने योग्य कोई मामला नहीं बनाया है।

14. तदनुसार, वर्तमान एल. पी. ए. सं. 660/2022, एल. पी. ए. अधिकार क्षेत्र के अभाव में खारिज किया जाता है।

(माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री)

(माननीय न्यायमूर्ति श्री एस. बी. प्र. सिंह)

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।